सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 301

17 वैशाख 1933 शकाब्द
राँची, शनिवार 7 मई, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 मई, 2011

संख्या एल०जी०-10/2011-54/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल दिनांक 06 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण रंजन,
प्रभारी सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या 2, 2011)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश

प्रस्तावना – चूंके, झारखण्ड राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है,

और चूंकि, झारखण्ड राज्य का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (i) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रवृत्त करने के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **अधिनियम की धारा 2 में संशोधन –**

(i) **अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xii) यथा नैमित्तिक व्यापारी की परिभाषा में संशोधन –**

"या अन्य मूल्यवान प्रतिफल" के बाद, निम्नांकित शब्द जोड़े जाएंगे:–

"एवं इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु नैमित्तिक व्यापारी का अर्थ होगा एवं इसमें इस धारा की कंडिका (xiii) में परिभाषित व्यापारी भी शामिल होंगे।

(ii) **अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xxviii) यथा इनपुट की परिभाषा में संशोधन –**

'लेकिन पेट्रोल डीजल के कय को छोड़कर', एवं "तथा प्राकृतिक गैस एव कैपिटल गुड्स के उपयोग के लिए शब्द के पूर्व, शब्द 'फर्नेश ऑयल एवं स्टीम' जोड़ा जाएगा।

(iii) **अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xlviii) यथा विकय मूल्य की परिभाषा में संशोधन–**

व्याख्या (iii) में शब्द बशर्ते यह निबंधित वैट व्यवसायी को अनुमत किया जाता है विलोपित किया जाएगा।

(iv) धारा 2 की विद्यमान कंडिका (lx) के पश्चात कंडिका (lxA) के रूप में एक नई कंडिका का अंतःस्थापन

"(lxA) माल का मूल्य से अभिप्रेत है– यदि माल बेचा गया है या खरीदा गया है, माल का सही बिकी मूल्य या सही कय मूल्य जैसा है, अन्यथा सामान परिस्थितियों में समान माल का सही बाजार मूल्य"

व्याख्या – सही बाजार मूल्य से अभिप्रेत है – वह मूल्य जिसपर माल सामान्यतया खूले बाजार में बिकी के लिए ऐसे मालों को बिकी या प्रेषण या हस्तांतरण के लिए लाया जाता है।

3. **अधिनियम की धारा 9 में संशोधन –**

(i) धारा 9 की उपधारा (4) की कंडिका (घ) में संशोधन

शब्द 'बन्धेज' के पश्चात एवं शब्द 'विहित' के पूर्व शब्द 'विनिर्दिष्ट या' जोड़ा जाएगा।

(ii) विधमान धारा 9 की उपधारा (4) का धारा 9 की एक नयी उपधारा (5) के रूप में अन्तस्थापन –

इस अधिनियम में अन्य बातों के रहते हुए, जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिकी के कम में माल की मात्रा के मामले में व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है, व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत मात्रा को व्यवसायी द्वारा की गयी बिकी माना जाएगा, जो ऐसे व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है तथा उक्त कय जो व्यापारी ऐसे व्यापार छूट या प्रोत्साहन प्राप्त करता है तथा ऐसी बिकी को इस मामले में बिकी का अंश माना जाएगा।

4. **धारा 10 में संशोधन –**

(i) विद्यमान कंडिका (i) तथा धारा 10 की कंडिका– (ii) के अनुच्छेद–घ में विद्यमान धारा 9 को धारा 8 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विद्यमान कंडिका (i) में, शब्द उन परिस्थितियों में के पश्चात तथा शब्द उस निबंधित व्यवसायी के द्वारा के पूर्व, शब्द जिसमें धारा 9 के अन्तर्गत कोई कर भुगतेय नहीं है, को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है।

(iii) विद्यमान कंडिका (ii) में शब्द एक व्यक्ति से तथा शब्द कर के भुगतान का दायी होगा के पूर्व निम्नांकित जोड़ा जाएगा,

जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर कर भुगतान नहीं किया गया है।

(iv) उप कंडिका–घ के पश्चात एक नई उप कंडिका –ड. के रूप में निम्नवत् जोड़ा जाएगा–

"(ड.) अनुसूची–II पार्ट– E में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त तथा करमुक्त वस्तुएं, अनुसूची–II में विनिर्माण या प्रोसेसिंग या खनन में उपभोग या व्यवहार के पश्चात, विनिर्मित या प्रोसेस्ड या खनित वस्तुएं यदि झारखण्ड राज्य के भीतर या

अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य या भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर निर्यात के कम में बिक्री के अतिरिक्त सम्पादित की जाती है।

एवं राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की बिक्रियों पर उक्त क्रय की तिथि के समय उस दर से करारोपण किया जाएगा, जिस दर से करारोपण किया गया होगा।

(v) व्याख्या में शब्द 'एवं उप कंडिका–1(ii)(ग)' के पश्चात शब्द 'एवं ङ.' जोड़ा जाएगा।

5. धारा 10 के पश्चात एक नई धारा 10क का अन्तःस्थापन – उपधारा (10) के पश्चात अधिभार का अधिरोपण।

10क(1)– इस अधिनियम की धारा 8, 9, 13, 15 एवं 17 में अन्य बातों के रहते हुए प्रत्येक व्यवसायी को उनके द्वारा भुगतेय कर के अतिरिक्त अनुसूची II पार्ट E में विनिर्दिष्ट दर के साथ–साथ विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर अधिभार का भुगतान करना होगा, जो उनके द्वारा भुगतेय कुल कर राशि का अधिकतम 20% होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) कर भुगतान, कर निर्धारण, कर वसूली, कर वापसी के सभी प्रावधान अधिभार के भुगतान, कर निर्धारण, कर वसूली एवं कर वापसी से संबंधित प्रावधान के अनुरूप होंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अन्य बातों के रहते हुए भी, कोई भी व्यवसायी अधिभार की राशि की वसूली के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. धारा 11 में संशोधन –

धारा 11 की उपधारा (1) में शब्द एवं संख्या धारा 9 को धारा 8 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. धारा 12 में संशोधन –

इस धारा में 'विद्यमान धारा 9' को 'धारा 8' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. धारा 13 में संशोधन –

उपधारा (1) में संख्या एवं विराम चिन्ह "50%" को 75% से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

उपधारा (2) : अनुसूची **II** भाग **A, B, C** एवं भाग **D** (पार्ट **C**, पार्ट **D** एवं पार्ट **F** के अनुलग्नक सहित) के लिए कर दर प्रत्येक अनुसूची के समक्ष निर्धारित दर के अनुरूप होगी।

विद्यमान उपधारा (2) के बाद एक नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जाएगी।

उपधारा (3) : राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित अनुसूची या उसके किसी अंश के प्रासंगिक कर दर को बढ़ा या घटा सकेगी।

बशर्त्ते राज्य सरकार अनुसूची II भाग F में विनिर्दिष्ट वस्तु या वस्तु समूह हेतु कतिपय शर्त्तों एवं बंधेज के साथ कोई कर दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

9. धारा 18 में संशोधन –

(i) धारा 18 की उपधारा (4) की विद्यमान कंडिका–(ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा –

''केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के कम में बिकय।''

(ii) धारा 18 की उपधारा (8) की कंडिका–(ix) में संशोधन –

विद्यमान कंडिका ''ऐसे माल के संबंध में जिसका उपयोग झारखण्ड के बाहर बिकय न करके अन्य प्रकार से स्टॉक का स्थानांतरण के लिए किया जाए'' के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :–

'ऐसे माल के संबंध में जिसका झारखण्ड राज्य के बाहर मालों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त अन्तर्राज्य स्टॉक का हस्तांतरण या बिकय के लिए किया जाए।'

(iii) धारा 18 की उपधारा (8) की विद्यमान कंडिका **(xiii)** के पश्चात कंडिका (xiv) के रूप में एक नई कंडिका का अंतःस्थापन –

''ऐसे कर बीजक जो कर सहित निर्गत किये जाते हैं''

10. धारा 19 में संशोधन –

उपधारा (3) के पश्चात निम्नांकित व्याख्या जोड़ी जाएगी –

व्याख्या I – इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य बातों के रहते हुए भी, निबंधित व्यवसायी को इनपुट टैक्स केडिट की अनुमान्यता नहीं होगी, जब ऐसे निबंधित व्यवसायी का लगातार तीन महीनों तक सकल आवर्त्त शून्य हो।

व्याख्या II – व्याख्या I धारा 22 एवं 58 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के मामले में लागू नहीं होंगे।

व्याख्या III – इस धारा के उद्देश्य के लिए अवधि से अभिप्रेत होगा – एक कलेण्डर माह या त्रैमास या वर्ष जैसा एवं जब विहित नियमों के अन्तर्गत आवश्य होंगे।

11. धारा 24 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (3) के पश्चात एक नई उपधारा (4) का अन्तःस्थापन –

(4) इस धारा के अन्तर्गत अन्य बातों के रहते हुए भी, जब कभी किसी वैट व्यवसायी द्वारा टैक्स इन्वायस निर्गमन के पश्चात किसी दूसरे वैट व्यवसायी को किसी छूट या

बिक्री प्रोत्साहन के लिए क्रेडिट नोट निर्गत किये जाने हों, बिक्रेता वैट व्यवसायी मूल टैक्स इन्वायस में मूल्य पर कर तत्व को बिना बाधित किये क्रेडिट नोट जारी करेगा।

12. धारा 25 में संशोधन –

उपधारा (1) में शब्द 'उसे निबंधित किया गया है' के पश्चात एवं शब्द 'निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त है' के पूर्व, शब्द 'इस धारा के अन्तर्गत' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (9) के पश्चात नई उपधाराएं उपधारा (10) एवं (11) के रूप में अंतःस्थापन –

(10) कोई व्यक्ति जो वर्ष में पचास हजार से अधिक बिक्री मूल्य हेतु करदेय वस्तुओं के विनिर्माण के लिए राज्य में व्यवसाय स्थापित करने का इच्छुक है एवं जो राज्य में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग में निबंधित है, अन्य बातों के रहते हुए कि वह अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर भुगतान करने का दायी नहीं है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त कर सकेगा।

(11) कोई व्यक्ति जो विद्युत के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य उर्जा के स्वरूप या दूरसंचार नेटवर्क में व्यवसाय स्थापित करने का इच्छुक है, अन्य बातों के रहते हुए कि वह अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर भुगतान करने का दायी नहीं है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त कर सकेगा।

13. धारा 26 में संशोधन –

उपधारा (1) में शब्द एवं विराम चिन्ह 'वह कर भुगतान का दायी नहीं है' के पश्चात तथा शब्द 'विहित तरीके से आवेदन करेगा' के पूर्व शब्द 'धारा 8 के अन्तर्गत' जोड़ा जाएगा।

14. धारा 35 में संशोधन –

(i) इस धारा का विद्यमान शीर्षक 'स्वकर निर्धारण' को 'कर निर्धारण एवं स्वकर निर्धारण' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपधारा (5) के विद्यमान शब्द / वर्णमाला (क) को विलोपित किया जाएगा।

(iii) उपधारा (5) की विद्यमान कंडिका (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा नई उपधारा (6) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा –

(6) उस परिस्थिति में यदि उपधारा (1), (2),(3), (4) एवं (5) के अन्तर्गत पड़ने वाले स्वकर निर्धारण विहित समय पर समर्पित नहीं किये गये हों, विहित प्राधिकारी विहित तरीके से तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण कर व्यवसायी को व्यक्तिगत तौर पर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लेखापुस्त एवं अन्य साक्ष्य जिसपर ऐसे व्यवसायी को विश्वास हो तथा दावा एवं ऐसे विवरणी के समर्थन में प्रस्तुत, के लिए नोटिस निर्गत करेगा तथा विवरणियों के आधार पर देय कर एवं सूद का निर्धारण करेगा, जो अभिलेख पर प्रस्तुत हों तथा सामंजन के पश्चात हो –

(i) अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक साक्ष्य के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, विमुक्ति, छूट तथा कटौती एवं अन्य सुविधा या रिबेट।

(ii) कर भुगतान तथा कर वापसी सामंजन की अस्वीकृति जो सत्यापित न हो, या अन्यथा अनुमान्य न हो।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत टैक्स क्रेडिट के अग्रेसित होने सहित टैक्स क्रेडिट के दावे का हटाना।

(iv) अधिनियम के अन्तर्गत लागू सूद अधिरोपण

(IV) उपधारा (6) के पश्चात एक नई उपधारा (7) निम्नवत् जोड़ा जाएगा।

(7) यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवसायी द्वारा दर्शाये गये मूल्य से अधिक पर वस्तु की बिक्री की गयी है, वह बिक्री के समय माल के मूल्य का निर्धारण कर सकेगा एवं ऐसे मूल्य पर कर के निर्धारण हेतु कार्रवाई करेगा।

बशर्ते कि ऐसे कार्यवाही को शुरू करने के पूर्व विहित प्राधिकृत ऐसा करने के कारणों को अंकित करेगा एवं इस उपधारा के अन्तर्गत व्यवसायी को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (6) को उपधारा (8) के रूप में पुनर्क्रमांकित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा --

(8) उपधारा (6) के अन्तर्गत कर अवधि, जिस पर या उसके अंश पर कर अनुमान्य है, की समाप्ति के तीन वर्षो के पश्चात कोई कर निर्धारण नहीं होगा।

15. धारा 40 में संशोधन --

धारा 40 की उपधारा (2) की कंडिका (ख) में शब्द की दर पर के पश्चात एवं शब्द प्रत्येक महीने के पूर्व, शब्द दो को शब्द पाँच से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. धारा 42 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (2) के पश्चात नई उपधाराएं (3) का अन्तःस्थापन –

(3) जब भारत के कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल द्वारा तथ्यों या कानून से कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या इस अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत कोई आपत्ति या टिप्पणी दर्ज किया गया हो, विहित प्राधिकारी कर निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण या स्क्रूटनी जैसा भी मामला हो, उस आपत्ति या टिप्पणी के आलोक में संबंधित व्यवसायी के पुनर्कर निर्धारण आदेश के लिए कार्रवाई करेंगे।

बशर्त्ते यदि विहित प्राधिकारी ऐसी आपत्ति या टिप्पणी के कानूनी पक्ष से संतुष्ट नहीं हो तो वे अपनी मंतव्य के साथ मूल्य कर निर्धारण आदेश एवं आपत्ति या टिप्पणी के साथ

आयुक्त को प्रेषित करेंगे, जिसकी प्रति कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल को भी अग्रसारित की जाएगी।

17. धारा 79 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (6) के पश्चात् उपधारा (7) के रूप में एक नई उपधारा का प्रतिस्थापन।

(7) इस धारा के अन्तर्गत ऐसे अपील दाखिल करने की तिथि के दो वर्षों के पश्चात् कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

18. धारा 80 में संशोधन –

विद्यमान धारा 80 की उपधारा (2) की कंडिका (a) में शब्द 'संयुक्त आयुक्त के द्वारा' के पश्चात शब्द ' (प्रशासन) जोड़ जाएगा।

विद्यमान धारा 80 की उपधारा (2) कंडिका (a) में शब्द 'इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत को विलोपित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (3) में शब्द 'पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन' के पश्चात तथा शब्द 'नब्बे दिनों के भीतर दायर किये जाएंगे' के पूर्व इस धारा के अन्तर्गत शब्द को इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) में, शब्द 'आयुक्त कर सकता है' के पूर्व शब्द 'उपधारा (2) में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) में, अपने स्वप्रेरणा से शब्द के पश्चात तथा शब्द 'मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है' के पूर्व, शब्द 'या आवेदन पर' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) के पश्चात एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा–

बशर्ते आयुक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश या शास्ति आदेश के पुनरीक्षण के आवेदन पर ऐसे व्यापारी को निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या दोनों में से राशि, जो 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जमा करने का निदेश दे सकता है।

विद्यमान उपधारा (5) के पश्चात उपधारा (6) के रूप में एक नई उपधारा का अन्तःस्थापन –

(6) इस धारा के अन्तर्गत ऐसे अपील दाखिल करने की तिथि के दो वर्षों के पश्चात् कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

19. धारा 95 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (1) के पश्चात एक नये परन्तुक का अन्तःस्थापन –

"बशर्ते कि निरसित अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान का दायी है एवं निबंधन के लिए विहित तरीके से आवेदन समर्पित नहीं किया है, को इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु अनिबंधित माना जाएगा एवं ऐसे व्यापारियों पर धारा 28 एवं धारा 38 के प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते यह कि उक्त व्यवसायियों के निबंधन एवं करदाता पहचान संख्या जो नियमित रूप से विवरणी दाखिल कर रहे हैं एवं कर का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें विहित तरीके से 1000 रूपये की शास्ति के भुगतान के साथ विनियमित किया जाएगा।

20. अनुसूची II पार्ट – B के शीर्षक में संशोधन –

विद्यमान कर दर **4%** को **5%** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

21. अनुसूची II पार्ट – C में संशोधन –

इस अनुसूची का विद्यमान शीर्षक **4%** को **5%** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

22. अनुसूची II पार्ट – D में संशोधन –

इस अनुसूची का विद्यमान शीर्षक "**14%** की दर से करदेय वस्तुएं" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

23. अनुसूची II पार्ट – E में संशोधन –

1. शब्द एवं विराम चिन्ह '20 प्रतिशत एवं इससे ऊपर कर दर' को विलोपित किया जाएगा।

2. शब्द धारा 9 की उपधारा (2) को देंखे को शब्द धारा 9 की उपधारा (3) को देंखे से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

24. अनुसूची II पार्ट – F का अन्तःस्थापन –

इस भाग में किसी वस्तु या वस्तु समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई दर।

राँची :
दिनांक 06 मई, 2011

एम० ओ० एच० फारूक
झारखण्ड राज्यपाल

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण रंजन,
प्रभारी सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

07 मई, 2011

संख्या-एल० जी०-10/2011-55/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 मई, 2011 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण रंजन,

प्रभारी सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(JHARKHAND ORDINANCE NO. 2, 2011)

JHARKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2011

An Ordinance to amend Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble -

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:

1. **Short title, extent and commencement** - (i) This Ordinance may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2011.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint and different date may be appointed for different provisions of this Amendment Act.

2. **Amendment in Section 2 of the Act (definitions) -**

(i) Clause (xii) of Section 2 of the Act, i.e. definition of "Casual Trader"-

After the words "or other valuable consideration", the following words shall be added: -

"and for the purpose of this Act, Casual Trader shall mean and include a dealer as defined in clause (xiii) of this Section."

(ii) Amendment in clause (xxviii) of Section 2 of the Act, i.e. definition of "Input"–

After the words "but excluding purchases of Petrol, Diesel" and before the words "and Natural Gas and for use as Capital Goods", the words "Furnace Oil and steam" shall be added.

(iii) Amendment in clause (xlviii) of Section 2 of the Act, i.e. definition of "Sale Price"

In Explanation- III- the words "provided the same is allowed to a registered VAT dealer" shall be omitted.

(iv) Insertion of a new clause as clause (lxA) after the existing clause (lx) of Section 2–

"(lxA) "Value of goods" means, the true sale price or the true purchase price of the goods, or prevalent fair market value of goods whichever is higher."

Explanation – Fair Market Value means the price that the goods would ordinarily fetch on sale in the open market on the date of sale or dispatch or transfer of such goods.

3. **Amendment in Section 9-**

(i) **Amendment in clause (d) of sub-section (4) of section 9 –**

After the words "restrictions as may be" and before the word "prescribed", the word "specified or" shall be added.

(ii) **Insertion of new sub-section after the existing sub-section (4) of Section 9 as sub-section (5) of Section 9 –**

Notwithstanding anything contained in this Act where a registered dealer allows any trade discount or incentive whether in terms of quantity in goods or otherwise in relation to any sale effected by him, the quantity so allowed as trade discount or incentive, shall be deemed to be a sale by the dealer, who allows such trade discount or incentive and a purchase by the dealer who receives such trade discount or incentive and such sale shall form part of the sale in relation to which such trade discount or incentive is allowed.

4. **Amendment in Section 10-**

(i) In existing clause (i), and in para (d) of clause (ii) of Section 10, the existing "Section 9" shall be substituted by "Section 8".

(ii) In existing clause (i), after the words "in the circumstances" and before the words "by that registered dealer" the words "in which no tax under section 9 is payable" shall be substituted by the following –

"*where no tax has been paid under this Act*"

(iii) In existing clause (ii), after the words "from a person," and before the words "shall be liable to pay tax", the following shall be added: -

"*where no tax has been paid under this Act*"

(iv) After sub-clause (d) a new sub-clause (e) shall be added as follows:-

"(e) The goods other than those specified in part E of Schedule II and tax-free goods, after consumption or use in the manufacture or processing or mining of any goods specified in Schedule II, the manufactured or processed or mined goods are disposed off otherwise than by way of sale within the State of Jharkhand or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

And such tax shall be levied at the rate at which tax would have been levied on the sales of such goods within the State of Jharkhand on the date of such purchase."

(v) In Explanation the words "**& (e)**" shall be added after the words "and sub-clause 1 (ii) (c),."

5. **Insertion of a new section as section 10A - <u>Levy of surcharge</u> after existing sub-section (10).**

10A - (1) Notwithstanding anything contained in Section 8, 9, 13, 15 and 17 of this Act, every dealer liable to pay tax under this Act shall, in addition to the tax payable by him, also pay a surcharge on the sale of goods specified in Part-E of Schedule II at such rate, not exceeding twenty per centum of the total amount of tax payable by him, as may be fixed by the State Government by a notification published in the official Gazette.

(2) All provisions of this Act relating to the payment, assessment, recovery and refund of tax thereof; shall apply to the payment, assessment, recovery and refund of surcharge.

(3) Notwithstanding any thing to the contrary contained in this Act, no dealer shall be entitled to collect the amount of this surcharge.

6. **Amendment in Section 11 –**

In sub-section (1) of Section 11, the word and number "Section 9", shall be substituted by "Section 8".

7. **Amendment in Section 12 –**

The existing "section 9" in this section, shall be substituted by "section 8".

8. **Amendment in Section 13 –**

In sub-section (1), the number and punctuation "50%" shall be substituted by "75%".

The existing sub-section (2), shall be substituted by the following : -

Sub-section (2) : The Rate of Tax in relation to goods mentioned in Part-A, Part-B including the Annexure(s) , Part-C and Part-D and Part-F of Schedule-II, shall be at the rate set out against each Schedule or part thereof.

Insertion of a new sub-section as sub-section (3) after the existing sub-section (2).

(3) The State Government may, by notification, enhance or reduce the respective rate(s) of taxes as specified in any of the Schedule(s) or part thereof, mentioned in sub-section (2) of this section.

Provided the State Government may specify any rate for any goods or class of goods with such conditions and restrictions as may be specified in Part - F of Schedule –II.

9. **Amendment in Section 18 –**

(i) The existing clause (ii) of sub-section (4) of Section 18 shall be substituted by the following –

"Sale in course of inter-State trade and commerce falling under sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act 1956 (74 of 1956)".

(ii) Amendment in Clause (ix) of sub-section (8) of Section 18 —

The existing clause "*in respect of goods used for manufacture of goods for transfer of stock, or other than by way of sale or for sale outside the State of Jharkhand*" shall be substituted by the following -

"*in respect of goods consumed for manufacture of goods for Inter-State transfer of stock or for sale outside the State*".

(iii) Insertion of a new clause as clause (xiv) after the existing clause (xiii) of sub-section (8) of Section 18-

"In respect to such tax invoice(s) which are issued inclusive of taxes".

10. Amendment in Section 19 –

After sub-section (3), the following explanation shall be added: -

"Explanation-I – Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be admissible by a registered dealer, where there is nil turnover by such registered dealer for a consecutive three months."

"Explanation-II - The Explanation-I shall not be applicable in the circumstances of dealers registered u/s 22 and 58."

"Explanation-III - The period or periods for the purpose of this Section, shall mean one calendar month or quarter or year."

11. Amendment in Section 24 –

Insertion of new sub-section as sub-section (4) after the existing sub-section (3) –

"(4) Notwithstanding anything contained in this section, wherever any credit notes are to be issued for any discounts or sales incentives by any VAT dealer to another VAT dealer after issuing tax invoice, the selling VAT dealer shall pass a credit note without disturbing the tax component on the price in the original tax invoice."

12. Amendment in Section 25 –

In sub-section (1), after the words "he has been registered" and before the words "possesses a certificate", the words "*under this Act*" shall be added.

Insertion of new sub-sections as sub-section (10) and (11) after existing sub-section (9) as follows -

"(10) Any person intending to establish a business in the State for the manufacture of taxable goods for sale of value, exceeding rupees fifty thousand in a year and who is registered in the Industries Department of State Government for establishing an industrial unit in the State may, notwithstanding that he is not liable to pay tax under section 8 of this Act, get himself registered under this Act."

"(11) Any person intending to establish a business in the State for the generation or distribution of electricity or any other form of power or in the telecommunication network may, notwithstanding that he is not liable to pay tax under section 8 of this Act, get himself registered under this Act."

13. Amendment in Section 26 –

In sub-section (1), after the words and punctuations "he is not liable to pay tax," and before the words "apply in the prescribed manner", the words "*__under section 8__*" shall be added.

14. Amendment in Section 35 –

(i). The existing title of this Section as "Self Assessment", shall be substituted by "Assessment and self-assessment".

(ii) . The existing alphabet/word "(a)" of sub-section (5) shall be omitted.

(iii). Clause (b) of sub-section (5), shall be substituted and renumbered as new sub-section (6).

" Sub-section (6) – In the circumstances, if the self-assessment under sub-section (1), (2), (3), (4) and (5) has not been filed within the prescribed time, the prescribed authority shall serve on such dealer a notice in the prescribed manner requiring him on a date and at a time and place to be specified therein either to attend in person or through an authorised representative or to produce or to cause to be produced any accounts and other evidences on which such dealer may rely in support of such returns and claims thereof and assess the dealer, the amount of tax and interest due from the dealer on the basis of such returns which have come on records and after making such adjustments as may be necessary including –

(i) disallowance of claim of input tax credit, exemptions, discounts and deductions and any other concessions or rebates not supported by requisite evidence as required under the Act or the rules made thereunder; and

(ii) disallowance of claims of tax payments and refund adjustment not verified or otherwise not admissible; and

(iii) withdrawal of claim of tax credit including carry forward of tax credit not admissible under the Act; and

(iv) levying of interest applicable under this Act.

Provided, notwithstanding anything contained in Section 36 if registered dealer fails to comply with all the terms of the notice under this sub-section or accounts and other evidence produced by him are, in the opinion of the prescribed authority incorrect, incomplete or unreliable either wholly or partly the said authority shall assess, to the best of its judgment, the amount of tax and interest due from the dealer which have come on records and after making such adjustments as may be necessary".

(iv). A new sub-section as sub-section (7) shall be added after sub-section (6) as follows:-

"(7) If the prescribed authority is satisfied that goods have been sold a price higher than that shown by the dealer, he may determine value of goods at the time of the sale and proceed to assess the tax on such price.

Provided before initiating such proceedings, the prescribed authority shall record his reasons for doing so and no orders shall be passed under this sub-section without giving the dealer an opportunity of being heard".

(iv) The existing sub-section (6) shall be renumbered as sub-section (8) and substituted as follows:- .

"(8) No assessment under sub-section (6) shall be made after the expiry of three years, from the end of the tax period, in respect of which or part of which the tax is assessable".

15. Amendment in Section 40 –

In clause (b) of sub-section (2) of Section 40 – After the words "a sum at the rate of" and before the words "percentum for each month", the word "two" shall be substituted "five".

16. Amendment in Section 42 —

Insertion of a new sub-section as sub-sections (3), after the existing sub-section (2):-

"(3) Where an objection or observation relating to either in fact or in law, has been made by the Comptroller and Auditor-General of India, in respect to an assessment or re-assessment made or on scrutiny of any return filed u/s 33 of this Act; the prescribed authority shall proceed to re-assess the dealer with respect to whose assessment or re-assessment or scrutiny, as the case may be, the objection or the observation has been made.

Provided that no such order shall be passed without serving upon the dealer concerned a notice requiring him to file, within one month of the date of the service of such notice, a reply to such objection or the observation as raised by the Comptroller and Auditor General.

17. Amendment in Section 79 -

Insertion of a new sub-section as sub-section (7) after existing sub-section (6) as follows :-

"(7) No order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of filing of such appeal".

18. Amendment in Section 80 –

In existing clause (a) of sub-section (2) of Section 80, after the words "by the joint commissioner", the words "(administration)" shall be added.

In existing clause (a) of sub-section (2) of Section 80, the words "specially empowered in this behalf" shall be deleted.

In sub-section (3), after the words "every application for revision" and before the words "shall be filed within ninety days", the words "under this section" shall be substituted by the words "under sub-section (2) of this section".

In existing sub-section (4), before the words "The commissioner may," the words "Notwithstanding anything contained in sub-section (2)" shall be added.

In existing sub-section (4), after the words "on his own motion" and before the words "call for and examine", the words "or on application" shall be added.

Insertion of a new proviso, after the existing sub-section (4) –

"Provided the Commissioner, on application for revision of any order of assessment or penalty or both passed by the prescribed authority under this Act, may direct such dealer/person to deposit a sum not exceeding ten percentum of the tax assessed or the penalty imposed or both."

Insertion of a new sub-section as sub-section (6) after existing sub-section (5) as follows :-

"(6) No order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of filing of such appeal".

19. Amendment in Section 95 –

Insertion of a new proviso after the existing sub-section (1)

" Provided a registered dealer under the repealed Act with facility of TIN, liable to pay tax under this Act also and has not applied for registration in the prescribed manner; shall be treated to be unregistered for the purpose of this Act and his/its TIN shall stand cancelled".

Provided further that the registration and TIN of those dealers submitting regular returns and paying taxes shall be regularized with payment of compounded amount of penalty of Rs. 1000/- by these defaulter dealers in prescribed manner.

20. Amendment in the title of Part-B of Schedule II-

The existing rate of tax 4% shall be substituted by 5%.

21. Amendment in the title of Part-Cof Schedule II-

The existing rate of tax 4% shall be substituted by 5%.

22. Amendment in Part-D of Schedule II –

The existing title of this Schedule shall be substituted by the words "Goods Taxable @ 14%".

23. Amendment in Part-E of Schedule II –

1. The words and punctuations as "@20 % and above" shall be deleted.

2. The words, "See sub-section (2) of Section 9" shall be substituted by the words " see sub-section (3) of Section 9"

24. Insertion of Part-F in Schedule II –

Any rate for any goods or class of goods as may be specified in this Part.

Ranchi :
Date 6th May, 2011

M. O. H. FAROOK
Governor of Jharkhand.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण रंजन,
प्रभारी सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 301--150+350 ।